


तारीख हुक्म	31/3 मुखेश कुमार vs परिभोजना निर्देशक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

31-7-19	<p> अधिवक्ता जर्जी एवं प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अजर्जी संग उपस्थित। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी विचारधीन प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इस बाबत प्रार्थी द्वारा दिनांक 18-5-19 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र बाबत विद्वो स्वीकार करने का निवेदन किया गया। </p> <p> प्रार्थी की बख्त पर मनन किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वो का आवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुरोध पर प्रार्थी मुखेश कुमार सैनी पुत्र सुवालाल सैनी जाति जाली निवासी डन्डवापुरा तहसील मधवा जिला दोसा द्वारा धारा 3(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। त्रिवेय की प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का मिजवाईजको पत्रावली फैसल सुमार दोसर नम्बर 8 क्रम दो एवं बाकपूर्ति प्रविष्ट लेख मण्डार दो। त्रिवेय आज दिनांक 31-7-19 को मेरे द्वारा मुले न्यायालय में सुनाया गया। </p> <p style="text-align: center;">  जिला कलेक्टर रोहा </p>	मुखेश कुमार vs परिभोजना निर्देशक
---------	---	----------------------------------